

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक (राज.)

क्रमांक : स्था./2014/1/

दिनांक : / /2014

आदेश

मैं, पृथ्वीराज, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभारी अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी के अवकाश पर रहने पर मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में लिंक प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक निम्न प्रकार नियुक्त करता हूँ :-

प्रभारी अधिकारी	लिंक प्रभारी अधिकारी		
	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	2	3	4
सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	अति. सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक

सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक को जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक के सभी प्रकार के बिलों हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी नियुक्त करता हूँ। इनके अवकाश काल या मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में कॉलम संख्या 2 से 4 में वर्णित अधिकारी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय लिंक प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ। जो उपरोक्त कार्य करेंगे।

उपरोक्त प्रभारी/लिंक अधिकारी की उपरोक्त प्रकार की अनुपस्थित में विशिष्ट न्यायाधीश, अजा/जजा (अ.नि.) प्रकरण, टोंक को लिंक प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ जो उपरोक्त कार्य करेंगे।

द्वितीय खण्ड

मैं, पृथ्वीराज, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा एवं प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा के अवकाश पर रहने या मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में लिंक प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, मालपुरा निम्न प्रकार नियुक्त करता हूँ :-

प्रभारी अधिकारी	लिंक प्रभारी अधिकारी		
	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	2	3	4
सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मालपुरा	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह

सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा को प्रभारी अधिकारी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मालपुरा के सभी प्रकार के बिलों हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी नियुक्त करता हूँ। इनके अवकाश काल या मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में लिंक प्रभारी अधिकारी, सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा, जो प्रभारी अधिकारी के उपरोक्त वर्णित कार्य करेंगे।

सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा तथा सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा की उपरोक्त प्रकार की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मालपुरा को उक्त कार्य हेतु अधिकृत करता हूँ। इन सभी की उपरोक्त प्रकार की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह को लिंक प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ, जो प्रभारी अधिकारी के उपरोक्त वर्णित कार्य करेंगे।

तृतीय खण्ड

न्यायक्षेत्र के विभिन्न न्यायालयों के पीठासीन आहरण एवं वितरण अधिकारी के अवकाश पर रहने या मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में उनके न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन आदि भुगतान में काफी परेशानी होती है।

अतः मैं, पृथ्वीराज, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के अवकाश पर रहने या मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में लिंक आहरण एवं वितरण अधिकारी निम्नानुसार नियुक्त करता हूँ।

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	लिंक अधिकारी		
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	2	3	4	5
1	विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण, टोंक	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक	सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक
2	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक	सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	अति. सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	उपरोक्त
3	सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	अति. सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक
4	अति. सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	उपरोक्त	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक
5	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	अति. सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक
6	सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	अति. सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक

क्रम संख्या 1 से 7, 10, 11 एवं 13 से 15 के तृतीय लिंक आहरण एवं वितरण अधिकारी के अवकाश पर रहने या मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में तृतीय लिंक आहरण एवं वितरण अधिकारी के लिंक अधिकारी को उपरोक्त कार्य किये जाने हेतु नियुक्त करता हूँ।

क्रम संख्या 8 व 9 के तृतीय लिंक आहरण एवं वितरण अधिकारी के अवकाश पर रहने या मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक तथा क्रम संख्या 12 के तृतीय लिंक आहरण एवं वितरण अधिकारी के अवकाश पर रहने या मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक को एवं इनकी उपरोक्त प्रकार की अनुपास्थिति में इनके लिंक आहरण एवं वितरण अधिकारी को लिंक आहरण एवं वितरण अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

स्थानान्तरण की स्थिति में भी उक्त प्रकार से प्रभारी व लिंक प्रभारी अधिकारी, लिंक आहरण एवं वितरण अधिकारी अधिकृत रहेंगे।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
टोंक (राज.)

क्रमांक : स्था./2014/1/

दिनांक : / /2014

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. आदेश पत्रावली
2. विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण, टोंक
3. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मालपुरा/टोंक
4. सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक,
5. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक,
6. सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई/मालपुरा/उनियारा
7. सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक/निवाई/मालपुरा/देवली/टोडारायसिंह/उनियारा
8. अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली
9. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली
10. कोषाधिकारी, टोंक
11. उपकोषाधिकारी, मालपुरा/देवली/निवाई/उनियारा (अलीगढ़)/टोडारायसिंह
12. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे, सुभाष बाजार, टोंक/ट्रेजरी बिल्डिंग, टोंक/देवली/मालपुरा/टोडारायसिंह/उनियारा/निवाई
13. बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा निवाई

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
टोंक (राज.)

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक (राज.)

क्रमांक : स्था./2014/1/

दिनांक : / /2014

आदेश

टोंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत/पदस्थापित पीठासीन अधिकारियों के अवकाश पर रहने या राजकीय कार्य से मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में निम्न प्रकार से लिंक अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं, जो पीठासीन अधिकारियों की उपरोक्त अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक एवं दैनिक कार्य करेंगे :-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	लिंक अधिकारी		
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	2	3	4	5
1	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक	विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण, टोंक	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक	1 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मालपुरा (आवश्यक कार्य) 2 सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (दैनिक कार्य)
2	विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण, टोंक	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक	उपरोक्त
3	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक	विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण, टोंक	उपरोक्त	उपरोक्त
4	सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	अति. सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (आवश्यक कार्य)
5	अति. सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	उपरोक्त	उपरोक्त

1	2	3	4	5
14	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा	सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (आवश्यक कार्य)	अति. सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (आवश्यक कार्य)
15	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (आवश्यक कार्य)
16	अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	उपरोक्त	उपरोक्त
17	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली	उपरोक्त	अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	उपरोक्त

नोट :-

1. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक, विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण, टोंक, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक/मालपुरा की उपरोक्त अनुपस्थिति में इनके न्यायालय का आवश्यक कार्य सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक तथा इनकी उपरोक्त अनुपस्थिति में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक तथा इनकी भी उपरोक्त अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई, इनकी भी उपरोक्त अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा तथा इनकी भी उपरोक्त अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा करेंगे।
2. तृतीय लिंक अधिकारी की उपरोक्त अनुपस्थिति में उनके लिंक अधिकारी द्वारा लिंक अधिकारियों के क्रम संख्या के अनुसार आवश्यक कार्य किया जावेगा।
3. टोंक मुख्यालय पर स्थित न्यायालय क्रमांक 4, 5 व 6 एवं उनके तृतीय लिंक अधिकारी, मालपुरा मुख्यालय पर स्थित क्र.सं. 8 व 9 एवं उनके तृतीय लिंक अधिकारी, निवाई मुख्यालय पर स्थित क्र.सं. 10 व 11 की तृतीय लिंक अधिकारी तथा क्र.सं. 12, 14, 15 से 17 के तृतीय लिंक अधिकारी की उपरोक्त अनुपस्थिति की दशा में इन सभी का आवश्यक कार्य सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा करेंगे।
4. क्र.सं. 4, 5, 6, 8 से 14, 16, 17 की उपरोक्त अनुपस्थिति में इन न्यायालयों का आवश्यक कार्य सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली करेंगे तथा क्र.सं. 4 से 6, 8 से 11, 13 से 17 की उपरोक्त अनुपस्थिति में इन न्यायालयों का आवश्यक कार्य सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह करेंगे।

5. क्र.सं. 4 से 6, 9 से 16 की उपरोक्त अनुपस्थिति में इन न्यायालयों का आवश्यक कार्य सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा एवं क्र.सं. 4 से 6, 8, 10 से 16 की उपरोक्त अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा, क्र.सं. 4 से 6, 8, 9, 11 से 17 की उपरोक्त अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई, क्र.सं. 4 से 6, 8 से 10, 12 से 17 की उपरोक्त अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई, क्र.सं. 4 से 6, 8 से 13 व 15 से 17 की उपरोक्त अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा, क्र.सं. 4 से 6, 8 से 15 व 17 की उपरोक्त अनुपस्थिति में अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली तथा क्र.सं. 4 से 6, 8 से 16 की उपरोक्त अनुपस्थिति में न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली इन न्यायालयों का आवश्यक कार्य करेंगे।

लिंक अधिकारियों के स्थानान्तरण पर भी यह आदेश उपरोक्तानुसार यथावत प्रभावी रहेगा।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
टोंक (राज.)

दिनांक : / /2014

क्रमांक : स्था./2014/1/

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. आदेश पत्रावली
2. विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण, टोंक
3. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मालपुरा/टोंक
4. सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक,
5. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक,
6. सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई/मालपुरा/उनियारा
7. सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक/निवाई/ मालपुरा/देवली/टोडारायसिंह/उनियारा
8. अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली
9. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली
10. जिला कलेक्टर, टोंक
11. पुलिस अधीक्षक, टोंक
12. अधीक्षक, जिला कारागृह, टोंक
13. रीडर, जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
टोंक (राज.)

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक (राज.)

क्रमांक : स्था./2014/1/

दिनांक : / /2014

आदेश

I

मैं, पृथ्वीराज, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 3 एवं सामान्य नियम (दीवानी), 1986 के नियम 6 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभारी अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी के अवकाश पर रहने या मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में लिंक प्रभारी अधिकारी, जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक निम्न प्रकार से नियुक्त करता हूँ :-

क्र. सं.	शाखा का नाम	प्रभारी अधिकारी	लिंक अधिकारी		
			प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	2	3	4	5	6
1	नजारत शाखा	अति. सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक	सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण, टोंक
2	लेखा शाखा	सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	अति. सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक
3	प्रतिलिपि शाखा	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	उपरोक्त	सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक
4	डबल लॉक मालखाना शाखा	उपरोक्त	-	-	-
5	अभिलेखागार शाखा	अति. सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक
6	मानचित्र/नक्शा/सूचना/स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग शाखा	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	अति. सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक

नोट :-

1. प्रभारी अधिकारी (मानचित्र, नक्शा, सूचना) को रिटर्न/सूचना की जांचकर हस्ताक्षर करने हेतु भी अधिकृत करता हूँ। इनकी ऊपर वर्णित अनुपस्थिति में लिंक अधिकारी को उपरोक्त कार्य हेतु अधिकृत करता हूँ।
2. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा को जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक के सभी प्रकार के बिलों का आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं इनकी उपरोक्त प्रकार की अनुपस्थिति में लिंक अधिकारी को इसी प्रकार आहरण एवं वितरण अधिकारी नियुक्त करता हूँ।
3. प्रभारी अधिकारी, नजारत शाखा, लेखा शाखा, मानचित्र शाखा, प्रतिलिपि एवं अभिलेखागार शाखा के उपरोक्त प्रकार की अनुपस्थिति में लिंक प्रभारी अधिकारी का कार्य किये जाने हेतु कॉलम संख्या 4, 5 व 6 में वर्णित अधिकारियों को लिंक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
4. प्रभारी अधिकारी, लिंक अधिकारी, लेखा की उपरोक्त अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, अजा/जजा (अ.नि.) प्रकरण, टोंक को लिंक प्रभारी अधिकारी का कार्य करने हेतु नियुक्त किया जाता है।
5. प्रभारी अधिकारी, लिंक प्रभारी अधिकारी, नजारत की उपरोक्त अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक को लिंक प्रभारी अधिकारी का कार्य करने हेतु नियुक्त किया जाता है।
6. प्रभारी अधिकारी, लिंक प्रभारी अधिकारी, प्रतिलिपि/मानचित्र/नक्शा/सूचना/स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग/अभिलेखागार शाखा की उपरोक्त अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण, टोंक को लिंक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो उपरोक्त कार्य करेंगे।

II

मैं, पृथ्वीराज, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक न्यायक्षेत्र की विभिन्न केन्द्रीय शाखाओं में निम्न न्यायिक अधिकारियों को सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 3 एवं सामान्य नियम (दीवानी), 1986 के नियम 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न प्रभारी अधिकारी एवं सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी के अवकाश पर रहने या मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में लिंक प्रभारी अधिकारी निम्न प्रकार से नियुक्त करता हूँ :-

मालपुरा मुख्यालय

क्र. सं.	शाखा का नाम	प्रभारी अधिकारी	लिंक अधिकारी		
			प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	2	3	4	5	6
1	नजारत शाखा	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मालपुरा	सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह
2	लेखा शाखा	सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मालपुरा	उपरोक्त

1	2	3	4	5	6
3	प्रतिलिपि शाखा	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा	सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मालपुरा	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह
4	एकल लॉक मालखाना शाखा	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त
5	डबल लॉक मालखाना शाखा	उपरोक्त	—	—	—

सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा, प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, मालपुरा को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मालपुरा के सभी प्रकार के बिलों के आहरण एवं वितरण अधिकारी नियुक्त करता हूँ। उक्त प्रभारी अधिकारी के अवकाश पर रहने या मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में प्रभारी अधिकारी का कार्य किये जाने हेतु कॉलम संख्या 4, 5 व 6 में वर्णित अधिकारियों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय लिंक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

III

निवाई मुख्यालय

क्र. सं.	शाखा का नाम	प्रभारी अधिकारी	लिंक अधिकारी		
			प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	2	3	4	5	6
1	लेखा व नजारत शाखा	सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	अति. सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक
2	प्रतिलिपि शाखा	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	अति. सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक
3	डबल लॉक मालखाना शाखा	उपरोक्त	—	—	—

लेखा एवं नजारत शाखा के प्रभारी अधिकारी एवं लिंक प्रभारी अधिकारी के अवकाश पर रहने या मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक एवं प्रतिलिपि शाखा के प्रभारी अधिकारी, लिंक प्रभारी अधिकारी के अवकाश पर रहने या मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक को लिंक प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ, जो उपरोक्त कार्य करेंगे।

IV

उनियारा मुख्यालय

क्र. सं.	शाखा का नाम	प्रभारी अधिकारी	लिंक अधिकारी		
			प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	2	3	4	5	6
1	लेखा व नजारत शाखा	सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा	अति. सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक
2	प्रतिलिपि शाखा	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा	सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	अति. सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक
3	डबल लॉक मालखाना शाखा	उपरोक्त	—	—	—

लेखा एवं नजारत शाखा के प्रभारी अधिकारी एवं लिंक प्रभारी अधिकारी के अवकाश पर रहने या मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक एवं प्रतिलिपि शाखा के प्रभारी अधिकारी, लिंक प्रभारी अधिकारी के अवकाश पर रहने या मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक को लिंक प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ, जो उपरोक्त कार्य करेंगे।

V

देवली मुख्यालय

क्र. सं.	शाखा का नाम	प्रभारी अधिकारी	लिंक अधिकारी		
			प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	2	3	4	5	6
1	लेखा व नजारत शाखा	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक
2	प्रतिलिपि शाखा	अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	उपरोक्त	उपरोक्त

1	2	3	4	5	6
3	डबल लॉक मालखाना शाखा	अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	—	—	—

लेखा एवं नजारत शाखा, प्रतिलिपि शाखा के प्रभारी अधिकारियों एवं लिंक प्रभारी अधिकारियों के अवकाश पर रहने या मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक एवं अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक की उपरोक्त प्रकार की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक को लिंक प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ, जो उपरोक्त कार्य करेंगे।

प्रभारी अधिकारी/लिंक प्रभारी अधिकारी के स्थानान्तरण पर भी आदेश यथावत रहेगा।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
टोंक (राज.)

दिनांक : / / 2014

क्रमांक : स्था./2014/1/

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. आदेश पत्रावली
2. विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण, टोंक
3. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मालपुरा/टोंक
4. सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक,
5. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक,
6. सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई/मालपुरा/उनियारा
7. सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक/निवाई/मालपुरा/देवली/टोडारायसिंह/उनियारा
8. अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली
9. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली
10. प्रभारी अधिकारी, नजारत/लेखा/प्रतिलिपि/अभिलेखागार/मानचित्र/नक्शा/सूचना/प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी शाखा, जिला एवं सेशन न्यायालय टोंक/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मालपुरा/सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निवाई/उनियारा/सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली
11. कोषाधिकारी टोंक/उपकोषाधिकारी, निवाई/मालपुरा/देवली/उनियारा (अलीगढ़)
12. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे, ट्रेजरी बिल्डिंग/सुभाष बाजार, टोंक/देवली/निवाई/मालपुरा/उनियारा/टोडारायसिंह

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
टोंक (राज.)